न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री भास्कर बिशनोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1105/दावा/2015
दायरा दि0 01/09/2015

उनवान

1. देवराज नाबा0 पुत्र ओमप्रकाश जाति गुजर जर्ये बली दादी खुद बरजीबाई पत्नि सीताराम जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
2. प्रियंका पुत्री सीताराम जाति गुजर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
3. नवल पुत्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर

–– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति गुजर निवासी चांदपुरा चपलाडा हाल गोटिया जी का मकान शिवनगर धनवाडा झालावाड
2. सीताराम पुत्र कान्हा जाति गुजर निवासी चांदपुरा चपलाडा हाल गोटिया जी का मकान शिवनगर धनवाडा झालावाड
3. बलराम पुत्र कान्हा जाति गुजर निवासी राजपुरा तह0 खानपुर
4. द्रोपतीबाई पुत्री कान्हा पत्नि नंदकिशोर जाति गुजर निवासी बाघेर तह0 खानपुर
5. नैनालाल पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
6. प्रभूलाल पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
7. मांगीलाल पुत्र बिरधा जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
8. राजाराम पुत्र बिरधा जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
9. सम्पतराज पुत्र बिरधा जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
10. जोधराज पुत्र बिरधा जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
11. दीपकंवर पुत्री बिरधा पत्नि भोजराज जाति गुजर निवासी बरेडी तह0 खानपुर
12. भरोसीबाई पुत्री बिरधा पत्नि रूपचंद जाति गुजर निवासी पीपल्दा तह0 खानपुर
13. मदनबाई पत्नि बिरधा जाति गुर्जर निवासी चांदपुरा चपलाडा तह0 खानपुर
14. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ तह0 खानपुर
15. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाघेर तह0 खानपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 05/04/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चांदपुरा चपलाडा की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 80 की ख0नं0 440 रकबा 18.07 बीघा, ख0नं0 441 रकबा 2.15 बीघा, ख0नं0 470 रकबा 3.14 बीघा, ख0नं0 472 रकबा 1.07 बीघा, ख0नं0 473 रकबा 0.17 बीघा, ख0नं0 475 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 476 रकबा 10.17 बीघा, ख0नं0 477 रकबा 1.03 बीघा, ख0नं0 478 रकबा 4.17 बीघा कुल 9 किता की 41.09 बीघा, ग्राम चांदपुरा चपलाडा खाता सं0 55 की ख0नं0 384 रकबा 22.07 बीघा, ख0नं0 386 रकबा 1.08 बीघा कुल 2 किता की 23.15 बीघा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दादी बरजीबाई, गवाह देवकरण, भंवरीबाई के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp1 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम चांदपुरा चपलाडा की खाता सं0 80 की 41.09 बीघा, खाता सं0 55 की 23.15 बीघा व खाता सं0 79 की 1.11 बीघा आराजी सीताराम को वादीगण के दादा कान्हा से प्राप्त हुई है। यह आराजी पुश्तैनी है, जिसमें वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है। यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी है और हम वादीगण खातेदार सीताराम के पौत्र व पुत्रियां हैं। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की है तथा गवाहान के बयान कराये हैं। वहीं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही हुये है, जिससे भी यही साबित है कि इनको हमारे वाद पर कोई आपत्ति नही है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री करें तथा वादीगण को सीताराम के साथ वादग्रस्त आराजी मे खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पर मनन किया। प्रदर्श पी–1 जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम चांदपुराचपलाडा तह0 खानपुर के खाता सं0 80 के 9 किता की 41.09 बीघा भूमि शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है, जिसमें से वादी सं0 1 के दादा एवं वादीया सं0 2, 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 2 सीताराम पुत्र कान्हा, प्रतिवादी सं0 3 बलराम पुत्र कान्हा एवं प्रतिवादी सं0 4 द्रोपतीबाई पुत्री कान्हा के हिस्से 1/6 आराजी दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम पुत्र कान्हा का हिस्सा 1/18 भाग है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–2 जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम चांदपुराचपलाडा तह0 खानपुर के खाता सं0 55 के 2 किता की 23.15 बीघा संयुक्त खातेदारी की आराजी मे बलराम, सीताराम पुत्र कान्हा एवं द्रोपतीबाई पुत्री कान्हा तीनों का संयुक्त हिस्सा प्रश्नगत आराजी मे 1/4 भाग है, इसमें खातेदार सीताराम का हिस्सा 1/12 भाग है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–3 जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम चांदपुराचपलाडा के खाता सं0 79 की 1 किता की 1.11 बीघा संयुक्त खातेदारी की आराजी मे बलराम, सीताराम पुत्र कान्हा एवं द्रोपतीबाई पुत्री कान्हा का संयुक्त हिस्सा1/3 भाग दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी में खातेदार सीताराम का हिस्सा 1/9 भाग है।

पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश प्रतिवादी 2 सीताराम का पुत्र है एवं वादी सं0 2 एवं 3 प्रतिवादी सं0 2 सीताराम की पुत्रियां है। इसी प्रकार वादी सं0 1 देवराज प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का पुत्र है। प्रतिवादी ओमप्रकाश एवं सीताराम के इनके अलावा कोई संतान नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में संतान को जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। प्रदर्श पी–4, पी–5 एवं पी–6 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी खातेदार एवं प्रतिवादी सं0 2 सीताराम के पिता कान्हा के नाम दर्ज थी जो उत्तराधिकार से वर्तमान में सीमाराम के नाम उसके हिस्से तक दर्ज है। प्रतिवादी सं0 2 सीताराम के दो पुत्रियां वादीया 1 व 2 एवं एक पुत्र प्रतिवादी सं0 1 है। इस प्रकार सीताराम की प्रश्नगत समस्त आराजी में उसका एवं उसी तीनों संतानों का एक समान हिस्सा निहित है। इसी प्रकार वादी सं0 1 देवराज जो कि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश की एक मात्र संतान है। अतः ओमप्रकाश के हिस्से की समस्त आराजी में ओमप्रकाश एवं वादी देवराज का एक समान हिस्सा निहित है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम चांदपुरा चपलाडा की खाता सं0 80 की 9 किता की 41.09 बीघा प्रश्नगत आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम का हिस्सा 1/18 भाग बनता है। उक्त आराजी में सीताराम की तीनों संतानों वादीया 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं0 1 का भी समान हिस्सा निहित है। अतः चारों का पृथक पृथक हिस्सा 1/18 का 1/4 भाग अर्थात 1/72 भाग प्रत्येक का हिस्सा निहित है। इसीप्रकार प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के उपर्युक्त 1/72 भाग में 1/2 भाग उसके एक मात्र पुत्र एवं वादी सं0 1 देवराज का निहित है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक हिस्सा 1/144, 1/144 भाग निहित है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

इसीप्रकार ग्राम चांदपुरा चपलाडा की खाता सं0 55 की 2 किता की 23.15 बीघा आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम का हिस्सा 1/12 भाग बनता है। इस आराजी में सीताराम की तीनो संतानो सहित चारों पृथक पृथक हिस्सा 1/48, 1/48 भाग होगा तथा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के 1/48 भाग में 1/2 भाग उसके एक मात्र पुत्र एवं वादी सं0 1 देवराज का निहित है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक हिस्सा 1/96, 1/96 भाग होगा।

ग्राम चांदपुरा चपलाडा की ही खाता सं0 79 की 1 किता की 1.11 बीघा प्रश्नगत आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम का हिस्सा 1/9 भाग बनता है। इस आराजी में सीताराम की तीनों संतानों वादीया 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं0 1 का भी समान हिस्सा निहित है। अतः चारों का पृथक पृथक हिस्सा 1/9 का 1/4 भाग अर्थात 1/36 भाग प्रत्येक का हिस्सा निहित होगा, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के उपर्युक्त 1/36 भाग में 1/2 भाग उसके एक मात्र पुत्र एवं वादी सं0 1 देवराज का निहित है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक हिस्सा 1/72, 1/72 भाग निहित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः वादीगण ने अपने वाद को बखूबी साबित किया है। ऐसे में वादीगण चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. ग्राम चांदपुरा चपलाडा की खाता सं0 80 की 9 किता की 41.09 बीघा आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम के हिस्सा 1/18 में वादी नं0 1 देवराज को 1/144 भाग, वादी नं0 2 प्रियंका को 1/72 भाग, वादी नं0 3 नवल को 1/72 भाग, प्रति0नं0 1 को 1/144 भाग व प्रति0नं0 2 सीताराम को 1/72 भाग का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इस खाते में खातेदार प्रति0नं0 3 बलराम का हिस्सा 1/18, प्रति0नं0 4 द्रोपतीबाई का हिस्सा 1/18 रहेगा। खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी।

2. ग्राम चांदपुरा चपलाडा की खाता सं0 55 की 2 किता की 23.15 बीघा आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम के हिस्सा 1/12 में वादी नं0 1 देवराज को 1/96 भाग, वादी नं0 2 प्रियंका को 1/48 भाग, वादी नं0 3 नवल को 1/48 भाग, प्रति0नं0 1 को 1/96 भाग व प्रति0नं0 2 सीताराम को 1/48 भाग का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इस खाते में खातेदार प्रति0नं0 3 बलराम का हिस्सा 1/12, प्रति0नं0 4 द्रोपतीबाई का हिस्सा 1/12 रहेगा। खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी।

3. ग्राम चांदपुरा चपलाडा की ही खाता सं0 79 की 1 किता की 1.11 बीघा आराजी में प्रतिवादी सं0 2 सीताराम के हिस्सा 1/9 वादी नं0 1 देवराज को 1/72 भाग, वादी नं0 2 प्रियंका को 1/36 भाग, वादी नं0 3 नवल को 1/36 भाग, प्रति0नं0 1 को 1/72 भाग व प्रति0नं0 2 सीताराम को 1/36 भाग का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इस खाते में खातेदार प्रति0नं0 3 बलराम का हिस्सा 1/9, प्रति0नं0 4 द्रोपतीबाई का हिस्सा 1/9 रहेगा। खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 05/04/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner